क्रमांक 3323115/छ.ग./2019/पार्ट–1/
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़,
शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक सेक्टर -19,
नवा रायपुर ,अटल नगर, जिला – रायपुर

दिनांक ..../07/2023

--:आदेश:--

छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के पत्र क्रमांक एफ 01–16/31/स्था./2020 दिनांक 02.12.2021 के द्वारा उपअभियंता (सिविल) के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु प्रदत्त अनुमति के आधार पर छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, नवा रायपुर अटल नगर के माध्यम से दिनांक 08.05.2022 को आयोजित परीक्षा के परिणाम के आधार पर जारी विज्ञप्ति में दी गई कंडिकाओं के अनुरूप मेरिट सूची के अनुसार दस्तावेज सत्यापन उपरान्त विभागीय छानबीन समिति के अनुशंसा के आधार पर निम्न अभ्यर्थी को तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) उपअभियंता (सिविल) के पद पर वेतन पुनरीक्षित नियम–2017 के वेतन मैट्रिक्स लेवल–8 रूपये 35400–112400 में अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक निम्नलिखित शर्तो पर नियुक्त कर कालम 9 में दर्शित कार्यालय में पदस्थ किया जाता है।

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 372/260/वि/नि/चार /2020 दिनांक 29.07.2020 एवं क्रमांक 375/260 वि/नि/चार/2020 दिनांक 06.08.2020 के अनुसार नियुक्ति तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर होगी तथा नियुक्त सेवक को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में क्रमशः न्यूनतम वेतनमान का 70%, 80% एवं 90% राशि स्टायपेण्ड के रूप में देय होगा। परिवीक्षा अवधि में स्टायपेण्ड के साथ अन्य भत्ते जो शासन द्वारा देय होंगे, प्राप्त होंगे। संतोषजनक परिवीक्षा अवधि समाप्ति के उपरान्त कर्मी का वेतन उस सेवा या पद को लागू वेतनमान का न्यूनतम नियत करते हुए उन्हें नियमित किया जायेगा :–

क्रं.	अभ्यर्थी का नाम	माता/पिता/ पति का नाम	वर्तमान पता	संवर्ग	जन्मतिथि	Overall Rank	Cat. Rank	कार्यालय जहां पदस्थ किया जाता है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	तुषार चंदन	व्ही.एस. चंदन	261/84, माई कृपा भवन, वार्ड नं.–03, राजीव नगर वार्ड, फरसपाल रोड, नया मार्केट के पास, कतियाररास, दंतेवाड़ा (छ.ग.) पिन नं. 494449	अ.पि.व.	13.02.1993	142	82	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोण्डागांव

2. नियुक्ति की अन्य शर्ते :–

(1) किसी भी समय एक माह के पूर्व सूचना नियुक्तिकर्ता को देकर या नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को देकर छत्तीसगढ़ सेवा (अस्थाई तथा अर्धस्थाई) नियम 60 के उपनियम 12 के अंतर्गत सेवा समाप्त की जा सकती है तथा एक माह की सूचना दिये बिना यदि वे अपनी अस्थाई सेवा छोड़ना चाहते है तो उन्हें एक माह का वेतन तथा भत्ता या ऐसी अवधि का वेतन जो एक माह की सूचना अवधि से कम न हो देना होगा।

(2) अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जानकारी अथवा कोई तथ्य भविष्य में असत्य पाये जाने पर बिना किसी सूचना के सेवा से पृथक कर दिया जायेगा।

(3) अभ्यर्थी को मेडिकल बोर्ड से शारीरिक स्वास्थता प्रमाण–पत्र (फिटनेस सर्टिफिकेट) उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(4) पदस्थापना कार्यालय में उपस्थित देते समय शैक्षणिक योग्यता प्रमाण–पत्र, जाति प्रमाण–पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(5) चयनित अभ्यर्थी को चरित्र सत्यापन हेतु जानकारी निर्धारित प्रपत्र में तत्काल प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(6) पुलिस अधीक्षक से प्राप्त चरित्र सत्यापन प्रमाण-पत्र में विपरीत टीप/अपराधिक गतिविधियां पाए जाने पर बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल प्रभाव से सेवा समाप्त की जावेगी।

(7) छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर का परिपत्र क्रमांक 282/एफ 2016–04–03289/वि/नि/चार दिनांक 11.05.2022 में किये गये प्रावधान के अनुसार पेंशन योजना लागू होगी।

(8) अभ्यर्थि को नियुक्ति आदेश के 30 दिवस के भीतर अपनी उपस्थिति देना अनिवार्य है। बिना सक्षम अनुमति प्राप्त किये निर्धारित तिथि तक उपस्थित नहीं होने की स्थिति में उनकी नियुक्ति स्वयंमेव निरस्त मानी जाएगी।

(9) कार्यग्रहण करने के तुरन्त पश्चात अभ्यर्थी को अस्थाई घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करना होगा।

(10) तकनीकी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण–पत्र एवं जन्म प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(11) चयनित अभ्यर्थी को वर्क्स डिपार्टमेंट मेन्युअल भाग -1 के पैरा 1.055 एवं 1.056 के अनुसार लेखा एवं यांत्रिकीय परीक्षा 3 वर्ष के अंदर उत्तीर्ण करना अनिवार्य है।

(12) कार्यग्रहण करने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(13) उपअभियंता (सिविल) के पद पर वरिष्ठता का निर्धारण मेरिट क्रम अनुसार किया जावेगा।

(14) आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) के सदस्य होने संबंधित दी गई जानकारी/प्रमाण पत्र यदि गलत पाये गये तो संबंधित उम्मीदवार/अभ्यर्थी, बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किये जाने का उत्तरदायी होगा तथा उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिसा के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही भी की जा सकेगी। साथ ही निर्देशित किया जाता है कि कार्यभार ग्रहण करते समय अनिवार्य रूप से जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति के साथ उपस्थित होवे अन्यथा कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जायेगा।

3/ प्रमाणित किया जाता है कि इन नियुक्तियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण/रोस्टर संधारित करने संबंधी नियमों/आदेशों का पालन किया गया है।

4/ उक्त नियुक्ति माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी.(सी.) क्रमांक 19668/2022 में पारित होने वाले अंतिम आदेश के अध्याधीन होंगी।

हस्ता./-
(इन्द्रजीत उइके)
प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़,
नवा रायपुर अटल नगर

पृष्ठांकन क्रमांक 3323115/छ.ग./2019/पार्ट–1/6934 रायपुर दिनांक 28./07/2023

प्रतिलिपि :–

(1) विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़ शासन रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

(2) सचिव, छत्तीसगढ़ शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ।

(3) मुख्य अभियंता, महानदी परियोजना, जल संसाधन विभाग, रायपुर।

(4) अधीक्षण अभियंता, इन्द्रावती परियोजना मंडल, जगदलपुर।

(5) जिला रोजगार अधिकारी, जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, ... (छ.ग.)।

(6) अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस. प्रकोष्ठ कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। कृपया विभागीय वेबसाईट में http://www. cgwrd.in तत्काल अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करें।

(7) कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोण्डागांव।
कृपया अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता, जन्मतिथि एवं अन्य संबंधित मूल प्रमाण पत्रों की पूर्ण जांच करने के पश्चात् ही उपस्थिति मान्य की जाये।

ीकृत डाक से ☆(8) संबंधित अभ्यर्थी श्री तुषार चंदन पिता श्री व्ही.एस. चंदन, 261/84, माई कृपा भवन, वार्ड नं.–03, राजीव नगर वार्ड, फरसपाल रोड, नया मार्केट के पास, कतियाररास, दंतेवाड़ा (छ.ग.) पिन नं. 494449
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(इन्द्रजीत उइके)
प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़,
नवा रायपुर अटल नगर